



प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)



भारत सरकार की यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खरीफ 2019 में लागू कर दी गई है जिसे कलस्टर-1, के निम्न सारणीनुसार जिलों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AIC) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

राज्य सरकार अधिसूचनानुसार मक्का एवं धान फसल की अधिकतम बीमा राशि व जिलावार कृषक द्वारा देय प्रीमियम निम्नलिखित है :-

क्रमांक	फसल	बीमित राशि (रु./हेक्टेयर)	किसान द्वारा देय प्रीमियम (रु./हेक्टेयर)			
			घग्घा	हमीरपुर	कांगड़ा	ऊना
1	मक्का	30,000/-	600/-	600/-	600/-	600/-
2	धान	30,000/-	600/-	600/-	600/-	600/-

प्रति बीघा दरें : बीमित राशि मक्का 2400 रु. व धान 2400 रु.; कृषक प्रीमियम मक्का 48 रु. व धान 48 रु.

"उपरोक्त प्रीमियम सब्सिडी के उपरान्त है तथा जिलों की अधिसूचित ईकाई तहसील/उप-तहसील है।

वित्तीय संस्थाओं व अग्रणी कृषकों के लिये मुख्य बिन्दु :

- सभी कृषकों की बीमा कवरेज भारत सरकार के पोर्टल pmfby.gov.in पर दर्ज करना अनिवार्य है। जिसके बिना बीमा कवरेज स्वीकार्य नहीं होगा।
- प्रीमियम राशि केवल NEFT/RTGS द्वारा ही भेजी जाए।
- सभी कृषकों का आधार नंबर होना अनिवार्य है।

योजना की विशेषताएँ:

- कवर किए जाने वाले किसान: अधिसूचित क्षेत्रों में मक्का व धान की फसलें उगाने वाले सभी किसान।
- अनिवार्य आवरण: सभी अग्रणी किसान ऋण वितरण करने वाली वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनिवार्य रूप से स्वतः ही कवर किये जाते हैं। अधिसूचित क्षेत्रों में बोई गई मक्का व धान फसलों के लिए दिनांक 31 जुलाई 2019 तक स्वीकृत ऋण सीमा धारक सभी कृषकों की प्रीमियम राशि वित्तीय संस्थाओं (Co-operative Banks, Commercial Banks & Regional Rural Banks) द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2019 तक कृषक के खाते से काट कर 15 अगस्त 2019 (DCCB के लिए 22 अगस्त 2019) तक पोर्टल पर दर्ज करके व घोषणा पत्र निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालय के पते पर भेज कर कवर करने हैं।
- स्वैच्छिक कवरेज: सभी अग्रणी किसान इच्छानुसार अपनी बैंक शाखा, अधिकृत मध्यस्त, ग्राहक सेवा केंद्र (CSC) अथवा पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31 जुलाई 2019 तक बीमा करवा सकते हैं। ये प्रस्ताव-पत्र तथा प्रीमियम राशि उपरोक्त माध्यम द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय के निम्नलिखित पते पर दिनांक 7 अगस्त 2019 (DCCB के लिए 14 अगस्त 2019) तक भेजने व पोर्टल पर दर्ज करने अनिवार्य है।

आवरित जोखिम:

- क) व्यापक आधार पर होने वाली प्राकृतिक विपदा के कारण (खड़ी फसलें, अधिसूचित क्षेत्र आधार पर)।
- ख) सूआई/रोपाई न होने के कारण हुआ नुकसान (खड़ी फसलें, अधिसूचित क्षेत्र आधार पर)।
- ग) फसल कटाई उपरान्त हुआ नुकसान (व्यक्तिगत फार्म आधार पर)
- घ) स्थानीय आपदाएं (व्यक्तिगत फार्म आधार पर)
- अग्रिम दावा भुगतान (अधिसूचित क्षेत्र आधार पर)
- मध्यावधि मौसम प्रतिकूलताओं के कारण दावों के अग्रिम भुगतान का प्रावधान।

अंतिम तिथि
31.07.2019

नि:शुल्क सहायता सेवा नं. : 1800-116-515

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

प्रधान कार्यालय:

प्लेट वी और सी, 5वीं मंजिल, ब्लाक-1
ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023
फोन : 011-24604444,
ई-मेल : aicho@aicofindia.com



क्षेत्रीय कार्यालय:

केबिन सं.-7, तीसरी मंजिल, एग्रो मॉल,
सेक्टर-20, पंचकुला, हरियाणा-134117
फोन : 0172-2538046; टेलीफैक्स : 2538047,
ईमेल : ro.chandigarh@aicofindia.com
शिमला कार्यालय : प्रथम तल, वी-11, गली नं. 4,
सेक्टर-1, न्यू शिमला-9, फोन : 0177-2671911

शिकायत के मामले में क्षेत्रीय कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करें या
http://www.aicofindia.com/AICEng/Pages/Grievance_Home.aspx पर लॉग ऑन करें।

IRDAN126P0001V01201617

CIN-U74999DL2002PLC118123

अधिक जानकारी हेतु योजना प्रपत्र तथा सरकारी अधिसूचना देखें।

विज्ञापन मात्र
(नियम एवं शर्तें लागू)

सम्पन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान

No. PMFBY/HP/KHARIF/2019/42

बीमा आगह की विषय वस्तु है।